न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 79/2020

अनवान

1. प्यारा आत्मज श्री भगवान बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ।
2. रामचन्द्र पिता श्री भगवान बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ।
3. लादु पिता श्री भगवान बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र श्री होकम बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ
2. नन्द लाल पुत्र श्री नारायण बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ
3. देबी लाल पुत्र श्री घीसा बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ
4. देबी लाल पुत्र श्री नारायण बैरवा नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ
5. भैरू लाल मुतबन्ना लक्ष्मण लुहार नि. स्वरूपगंज तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19–01–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम स्वरूपगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 236 की कृषि भूमि की आ.न. 173/3 रकबा 0.1012 आ.न. 177 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 177/2 रकबा 0.1012है. आ.न. 181/3 रकबा 0.0506है. आ.न. 181/4 रकबा 0.0632है0. कुल किता 5 रकबा 0.3668 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 02 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:26:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ [illegible] दिये जाते है कि **ग्राम स्वरूपगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 236 की कृषि भूमि की आ.न. 173/3 रकबा 0.1012 आ.न. 177 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 177/2 रकबा 0.1012है. आ.न. 181/3 रकबा 0.0506है. आ.न. 181/4 रकबा 0.0632है0. कुल किता 5 रकबा 0.3668 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड [illegible] नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 400/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ